राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या–68 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्रीमती कविता कुमारी, पति–श्री अशोक कुमार, घर–रामबाग, वार्ड–7, पोस्ट–सलेमपुर, भाया–पण्डौल, जिला–मधुबनी, पिन–847234

बनाम

कुलपति–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
07.12.2022	श्रीमती कविता कुमारी, पति–श्री अशोक कुमार, घर–रामबाग, वार्ड–7, पोस्ट–सलेमपुर, भाया–पण्डौल, जिला–मधुबनी, पिन–847234 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक– 02.12.2022 इस कार्यालय में दिनांक–06.12.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–60F 262201 दिनांक– अस्पष्ट, जो राज्यपाल सचिवालय के पक्ष में देय है, संलग्न है। इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु लेखा शाखा को भेजे। अपीलकर्त्ता श्रीमती कविता कुमारी ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–19.11.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कुलपति, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना/निर्णय प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–19.11.2022 की प्रति भी संलग्न की है। विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में। अपीलकर्त्ता श्रीमती कविता कुमारी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। 7/12/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	